राजेन्द्रपाल	17/6/16	आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट तिजारा में पेश हुई। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह अपने वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते। वाद पत्र को विदड्रा करना चाहता है। प्रार्थना पत्र वादी का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner